न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी रा. वि. कुण्डलपुर बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 131, 136 LR मु.नं. 440 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
12/10/25	प्रार्थी प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कुण्डलपुर पं.स. धोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विषयक खेल मैदान की तरमीम शुद्धिकरण बाबत पेश कर निवेदन किया कि "विद्यालय को खेल मैदान के लिए 0.7500 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी तथा जिसका कब्जा विद्यालय को दे दिया था, जिसका खसरा सं. 1115/704 आवंटित दिया गया था। लेकिन खसरा की गलत तरमीम कर दी गई, नक्शे में यह खसरा अन्य स्थान पर दिखाया गया है। जबकि खेल मैदान का कब्जा अन्य स्थान पर दिया गया था, जहां कब्जा दिया गया था। उसी जबर को वर्षो से खेल मैदान के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। अतः निवेदन है कि मौका स्थिति के अनुसार तरमीम कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें।"
	अतः उक्त के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3343 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका अवलोकन किया गया। जो कि मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अ.धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।
	अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3343 दिनांक 23.09.2025 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम कुण्डलपुर पटवार हल्का बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खसरा सं. 1202/704, 1182/704, 1115/704, 654, 1161/704 के संबंध में तरमीम उक्त तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 1 ता 4 (फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा के अनुसार) दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार मौके के अनुसार तरमीम व रकबा ऑनलाईन/ऑफलाईन नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में दुरूस्त किया जावें। उक्त की पालना करते समय यह ध्यान में रखा जावें कि उक्त तरमीम दुरूस्ती करने से किसी भी सीमा से लगते हुये प्रार्थीपक्ष/खातेदारान के खसरानों के अलावा अन्य खसरानों के रकबे व स्थिति में परिवर्तन नहीं हों। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होगें। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3343 दिनांक 23.09.2025 प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदेश का अभिन्न अंग [illegible]। आदेश सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल [illegible] हों।
	उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद (जिला–सीकर (राज.))

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner